न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीनअधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 48 / 2021
अर्जुन सिंह पुत्र रामदेव सिंह, जातिराजपूत, निवासीसुलताना, तहसीलचिडावा, जिलाझुंझुनूं (राज0)
– – अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज.)।

– – रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण ग्राम सुलताना संख्या 2896 दिनांक 13.10.2020 जो दिनांक 27.10.2020 को न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा तस्दीक किया गया है।

1. श्री हजारी लाल सुनिया, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – राज्य सरकार की ओर से उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.09.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश नामान्तरकरण संख्या 2896 दिनांक 13.10.2020 जो दिनांक 27.10.2020 को भूमि ग्राम सुलताना के संबंध मे भरा गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार मौजा ग्राम सुलताना में अपीलान्ट की कब्जे अधिकार की भूमि ख0न0 407 रकबा 0.9000 है0, ख0न0 408 रकबा 0.8000 है0, ख0न0 409 रकबा 0.6200 है0, ख0 410 रकबा 0.6200 है0, ख0न0 411 रकबा 0.6700 है0, ख0न0 905 रकबा 0.5000 है0, ख0न0 913 रकबा 1.2700 है0 अवस्थित है। जो अपीलान्ट को उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता रामदेव सिंह से प्राप्त हुई भूमि है तथा रामदेव की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासतन अन्तकाल अपीलान्ट व उसके भाई महेन्द्र सिंह व बहिन छगन कंवर तथा माता अजन कंवर के नाम इन्तकाल संख्या 1992 दर्ज हुआ इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि पर खातेदार रामदेव के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त भूमि अविभाजित भूमि है तथा यहां यह खुलासा किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि का कुछ हिस्सा अपीलान्ट के पिता रामदेव ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1979 को मनोहरलाल पुत्र बारसीलाल नाई को विक्रय किया था किन्तु उक्त मनोहरलाल का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर बिना कब्जा काश्त की व वास्तविक वारिसान की जांच किये बिना तहसीलदार चिडावा ने नामान्तरकरण संख्या 2896 दिनांक 27.10.2020 तस्दीक किया है। तहसीलदार चिडावा ने दिनांक 27.10.2020 को उक्त नामान्तरकरण नियम विरूद्व दर्ज किया है। नामान्तरकरण संख्या 2896 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलान्ट को सुने बिना उनकी गैर मौजूदगी में दर्ज किया है। तहसीलदार चिडावा ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 2896 में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 2896 दर्ज किया है। नामान्तरकरण संख्या 2896 तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता व माता की मृत्यु हो चुकी थी तथा अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि का कुछ हिस्सा मनोहरलाल को विक्रय किया था उस समय मनोहरलाल की भी मृत्यु हो चुकी थी तथा कानूनन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के मुताबक अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अपीलान्ट को

सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 2896 तस्दीक किया है तथा उक्त भूमि का बंटवारा भी अपीलान्ट को सुने बिना कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मंजूर की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 27.10.2020 को नामान्तरकरण संख्या 2896 जो रेस्पोडेन्ट ने भरा है को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान दस्तावेज किता 2 पेश किये तथा अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण संख्या 2896 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलान्ट को सुने बिना उनकी गैर मौजूदगी में दर्ज किया है। तहसीलदार चिडावा ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 2896 में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 2896 दर्ज किया है। नामान्तरकरण संख्या 2896 तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता व माता की मृत्यु हो चुकी थी तथा अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि का कुछ हिस्सा मनोहरलाल को विक्रय किया था उस समय मनोहरलाल की भी मृत्यु हो चुकी थी तथा कानूनन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के मुताबक अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 2896 तस्दीक किया है तथा उक्त भूमि का बंटवारा भी अपीलान्ट को सुने बिना कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर की जाकर न्यायालय तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 27.10.2020 को नामान्तरकरण संख्या 2896 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बेचान वैध दस्तावेज के आधार पर नियमानुसार भरा गया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1979 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2896 दिनांक 27.10.2020 को तस्दीक किया है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 2896 मृतक व्यक्ति के नाम से दर्ज किया गया है तथा नामान्तकरण दर्ज करते समय उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा भी न तो मनोहरलाल के वारिसान को पत्रावली में पक्षकार बनाया है और न ही अन्य खातेदारों को पक्षकार बनाया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण में उसके सभी प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के बाद ही आदेश दिया जाना विधि सम्मत् है। लिहाजा हम आवश्यक पक्षकार को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपील निरस्त जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट को पुनः विधिक रूप से प्रभावित पक्षकारों का अंकन करते हुये तथा पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफत्र हो।

आदेश आज दिनांक 27.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं